



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई

Sanjay B. Gawai

कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2015/प्र.स./2015-16/01/1/72

दिनांक: 27.02.2015

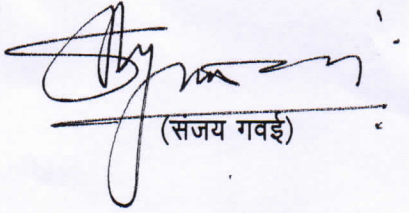
कार्यालयादेश

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2015 को सम्पन्न संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों की बैठक में बिंदु क्रमांक 09 के अंतर्गत वर्तमान में संचालित विद्यापीठों के अतिरिक्त दो नये विद्यापीठ- विज्ञान विद्यापीठ एवं तकनीकी विद्यापीठ की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके संदर्भ में कुलाध्यक्ष की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए निम्नलिखित की समिति बनायी जाती है-

1. प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल, संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ एवं अध्यक्ष, भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
2. प्रो. देवराज, अध्यक्ष, अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग

समिति से अनुरोध है कि वह उक्त प्रस्ताव दिनांक 11 मार्च, 2015 तक कुलपति महोदय को सौंपे ताकि उसे विद्या-परिषद की आगामी बैठक (14.03.2015) में रखा जा सके।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन)
5. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल